



ভারতীয় মানক ব্যুরো

উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর, খাদ্য ও গণবন্টন মন্ত্রক,

भारतीय मानक ब्यूरो

चपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution Government of India

हमारा संदर्भ/सीएम/एल-5100247687 Our Ref: CM/L- 5100247687 दिनांक: 03/03/2025 Dated: 03/03/2025

विषय : आई एस 17042 : PART 1:2020 के अनुरूप भा मा ब्यूरो प्रमाणन मुहर लाइसेंस संख्या सी एम/एल - 5100247687

प्रदान करने के संबंध/संदर्भ में।

Subject: Regarding/Reference for Grant of BIS Certification Seal Licence No. CM/L - 5100247687 in conformity with

IS 17042 : PART 1:2020

मेसर्स नेक्स्टजेन ब्लू गेट नंबर 1, जालान इंडस्ट्रियल काम्प्लेक्स, दाहिनी ओर लेन नंबर 3, गांव-बिप्रन्नापारा, हावड़ा जिला: हावड़ा, पश्चिम बंगाल- 711411 M/s Nextgen Blue Gate NO.1, Jalan industrial complex, Right Side Lane No.3,

Vill.-Biprannapara, Howrah Distt: Howrah, West Bengal- 711411

प्रिय महोदय/महोदया, Dear Madam(s)/Sir(s),

आपके आवेदन के संदर्भ में हम यह सहर्ष सूचित करते हैं कि आपको अपने निम्न उत्पाद पर मानक मुहर का उपयोग करने के लिए लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया गया है:

With reference to your application, we are pleased to inform you that the Certification Marks License has been granted to you to use the Standard Mark in respect of the followings:

उत्पाद : Diesel Engines Nox Reduction Agent Aus 32 Part 1 Quality Requirements

आई एस: IS 17042: PART 1:2020

टाइप/ साइज़/ ग्रेड/ किस्म:-

AUS 32

1. आपको यह लाइसेंस इस स्पष्ट शर्त पर दिया जा रहा है कि आप उक्त भारतीय मानक के अनुरूप खरा उतरने वाले समस्त उत्पादन पर मानक मुहर लगाएँगे।

The license is granted on the explicit condition that you will mark entire/substantial production which conforms to the Indian Standards.

- 2. आपको प्रदान किए गए लाइसेंस का नंबर सीएम/एल-5100247687 है जो दिनांक- 24/12/2024 से लागू है तथा दिनांक- 23/12/2025 तक वैद्य है। आप द्वारा किए जाने वाले पत्राचार में इस लाइसेंस नंबर का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। The number assigned to this License is CM/L-5100247687 which has been made operative from 24/12/2024 and is valid up to 23/12/2025. The license number shall invariably be referred to in your future correspondence.
- 3. इसके अलावा, आपको प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप मानक मार्क के साथ लाइसेंस के दायरे के तहत पूरे उत्पादन को कवर करने के साथ बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा, आपको अपने परिसर में बीआईएस उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस को प्रमुखता से प्रदर्शित करना चाहिए और अपने वाणिज्यिक विज्ञापनों के माध्यम से आपको बीआईएस उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस का भी उल्लेख करना चाहिए। Further, you should cover the entire production under scope of license with Standard Mark and maintain conformity to the relevant Indian Standards. In addition, you should display the BIS product certification license prominently at your premises and also mention the BIS product certification license held by you in your commercial advertisements.
- 4. भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम 2018 के अनिसुची 2 में दिए गए स्कीम 1 के पारा 5 अंतगर्त सबपारा (1) और (3) के अनुसार वार्षिक लाइसेंस शुल्क रु. 1000/- एवं भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम 2018 के स्कीम 1 के उपाबंध 1 में दिये गये वार्षिक न्यूनतम मुहरांकन शुल्क का भुगतान लाइसेंस की वैधता अविध के लिए दिनांक- 24/12/2024 से आपके द्वारा देय होगा |

According to Sub-Paragraph (1) & (3) of Paragraph 5 of Scheme-I of Schedule-II under Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018, the annual license fee of Rs.1000.00 and the marking fee as notified is payable by you with effect from 24/12/2024 for the period of validity of the license in advance.

- 5. आप द्वारा न्यूनतम मुहरांकन शुल्क का भुगतान किया जाएगा, चाहे आपने अपने उत्पाद पर मानक मुहर का उपयोग किया हो अथवा नहीं । लाइसेंस शुल्क और न्यूनतम मुहरांकन शुल्क के लिए हमारी रशीद सं AA51PC2024001283 दिनांक-24/11/2024 मानक ऑनलाइन के द्वारा भेजा जा चुकी है।
 - Minimum Marking fee stipulated under Scheme-I of BIS (Conformity Assessment) Regulations, 2018 is payable by you regardless of the fact whether you actually mark your product or not with the Standard Mark. Our Receipt No. AA51PC2024001283 dated 24/11/2024 for the license fee and the minimum marking fee for the first operative period is already *issued/enclosed/being sent separately.
- 6. यह अग्रिम न्यूनतम मुहरांकन शुल्क प्रत्येक नवीकरण के समय अगले वर्ष के लिए जमा रहेगा। नवीकरण के समय आपको मुहरांकित उत्पादन पर इकाई दर के अनुसार, या वास्तविक मुहरांकन शुल्क या न्यूनतम मुहरांकन शुल्क, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा।

This advance minimum marking fee will be carried over to the next year on every renewal. The actual marking fee calculated on the unit rate on the production marked or the minimum marking fee, whichever is higher, shall be payable by you at the time of renewal.

7. उत्पाद की मुहरांकित मात्रा की रिपोर्ट एवं इकाई दर के आधार पर मुहरांकन शुल्क की गणना और उसकी प्राप्ति को सुचारू बनाने की हिष्ट से प्रथम नवीकरण के समय शुल्क की गणना लाइसेंस जारी होने के प्रथम नौ माह के दौरान मुहरांकित उत्पाद पर की जाएगी। दिवतीय तथा आगे के नवीकरण के समय यह गणना पूर्व वर्ष के अन्तिम तीन माह तथा चालू वर्ष के प्रथम नौ माह को शामिल करते हुए 12 महीनों के दौरान मुहरांकित उत्पाद पर की जाएगी। लाइसेंस के समाप्त होने की स्थित में मुहरांकन शुल्क की गणना समाप्ति की तिथि तक के समस्त मुहरांकित उत्पादन पर की जाएगी।

With a view to streamlining the reporting of quantity marked, calculation and collection of marking fee on the unit rate basis, fees will be calculated on the production marked during the first nine months of operation of the license at the time of first renewal, and on the production marked during twelve months comprising the last three months of the previous operative year and the first nine months of the current operative year, at the time of the second and subsequent renewals. In case the license expires, the entire production marked till the expiry date shall be taken into account for calculating the marking fee payable.

8. आपके द्वारा प्रस्तुत परीक्षण (एसआईटी) एवं निरीक्षण की योजना और बीआईएस द्वारा सहमत या बीआईएस+ द्वारा निर्दिष्ट परीक्षण और निरीक्षण योजना को आपके संस्था द्वारा कड़ाई से और पूरी तरह से लागू करना होगा। योजना के संचालन का यह पर्यवेक्षण आपके संस्था में गुणवत्ता नियंत्रण कार्य हेतु जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। कृपया हमें उस व्यक्ति का नाम और पदनाम सूचित करें, जिसे योजना के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस संबंध में भविष्य में कोई भी परिवर्तन होने पर आपको हमें इसकी सूचना देनी होगी।

The Scheme of Inspection and Testing (SIT) submitted by you and agreed by BIS or the Scheme of Inspection and Testing as specified by BIS* will have to be implemented by your organization strictly and completely. This supervision of the operation of the Scheme shall be done by a person responsible for the quality control function in your organization. Kindly inform us the name and designation of the person who will be held responsible for the operation and maintenance of the Scheme. Any future change in this respect will have to be communicated by you to us as and when these take place.

- 9. हम मानक मुहर के अधिमान्य आयामों का विवरण संलग्न कर रहे हैं ताकि आप उपरोक्त उत्पाद पर मुहर लगाने के लिए मानक मुहर का डिजाइन बना सकें। मानक मुहर का किसी भी साइज़ में फोटो अनुमत है। इससे मानक मुहर के विभिन्न आयामों में समानुपात बनाया रखा जा सकेगा। जहाँ तक संभव हो, अधिमान्य आयामों का ही उपयोग किया जाए।
 - We are enclosing a sheet giving the preferred dimensions of the Standard Mark to enable you to prepare the designs of the Standard Mark for marking the above product Photographic reduction in any size is permissible. This will ensure the relative proportions of the different dimensions maintained. Preferred dimensions be used as far as possible.
- 10. आपके जिस उत्पाद के लिए लाइसेंस दिया गया है, आप उस के मुहरांकित होने का विज्ञापन लाइसेंस की वैधता के दौरान होर्डिगों, स्लाइडों और अखबारों में दे सकते हैं। लैटरहैड और प्रचार साहित्य में मानक मुहर के उपयोग की अनुमति तभी दी जाएगी, जब आप आश्वासन देंगे कि लाइसेंस के समाप्त या रद्द होने की दशा में आप उन लैटरहैड इत्यादि का नष्ट कर देंगे अथवा उन पर से मानक मुहर को मिटा देंगे। यह आश्वासन आपको संलग्न प्रपत्र में देना होगा।

On commencement of marking of your product for which you are licensed, you may advertise your product with Standard Mark in various media only during the validity of your license. The use of Standard Mark on letterheads and publicity literature will be permitted only on receipt of your assurance that in the event of cancellation or lapsing of your license, the Standard Mark on your letterheads, publicity literatures etc. will be destroyed/obliterated.

11. यह लाइसेंस- गेट नंबर 1, जालान इंडस्ट्रियल काम्प्लेक्स, दाहिनी ओर लेन नंबर 3, गांव-बिप्रन्नापारा, हावड़ा, जिला: हावड़ा, पश्चिम बंगाल- 711411 पर स्थित आपकी फैक्ट्री के लिए प्रदान किया गया है। इस लाइसेंस के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों/विशेषाधिकारों का उपयोग आप किसी अन्य फर्म/कंपनी/फैक्ट्री इत्यादि के लिए नहीं करेंगे। यह लाइसेंस अहस्तान्तरणीय है। निर्माण एवं जॉच उपकरणों के लाइसेंस शुदा परिसर से किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित हपोने की स्थिति में नए परिसर में स्थानान्तरित निर्माण एवं जॉच सुविधाओं का हमारे द्वारा संतोषजनक निरीक्षण कर लेने तथा लाइसेंस में नये परिसर को शामिल कर देने तक आपको मानक मुहर का उपयोग बन्द करना होगा।

This license is granted for your manufacturing premises situated at Gate NO.1, Jalan industrial complex, Right Side Lane No.3, Vill.-Biprannapara, Howrah, Distt: Howrah, West Bengal- 711411 Privileges under the license shall not be exercised by any other firm company/factory etc. This license is not transferable in the event of shifting the manufacturing and testing equipment from the licensed premises to some other place, use of Standard Mark shall be stopped till the new premises are inspected and found to be satisfactory by BIS in respect of manufacturing and testing facilities available there and the address of the new premises is endorsed in the license.

- 12. आपको यह भी सलाह दी जाती है कि आप स्वतः और अपने संगठन के अन्य कर्मचारियों को बीआईएस अधिनियम, 2016 के प्रावधानों और किसी भी जानबूझकर, गैर-इरादतन या गैर-पालन के मामले में विशेष रूप से निहितार्थों के तहत वहां बनाए गए नियम और विनियमों के बारे में जागरूक करें।
 - You are also advised to make yourself and other employees in your organization aware about the provisions of the BIS Act, 2016 and Rules and Regulations framed thereunder especially the implications in case of any intentional or unintentional non-adherence.
- 13. यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह लाइसेंस विकल्प 2 के तहत दिया जाता है, जो इस शर्त के अधीन है कि यदि लाइसेंस प्रदान करने से पहले सत्यापन यात्रा के दौरान बीआईएस द्वारा लिए गए नमूने (05/12/2024) प्रासंगिक भारतीय मानक) किसी भी आवश्यकता में (की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होते हैं, तो लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाएगा और यदि सुधारात्मक कार्रवाई के बाद एक महीने के भीतर नया नमूना पेश नहीं किया जाता है या नया नमूना प्रासंगिक भारतीय मानक की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होता है, तो किसी भी आवश्यकता में, लाइसेंस रद्द करने के लिए संसाधित किया जाएगा) विकल्प 2 के तहत जीओएल के लिए लागू।

It may be noted that this license is granted under option 2 which is subject to the condition that if samples drawn on (05/12/2024) by BIS during the verification visit before grant of licence, fail to conform to the requirements of relevant Indian Standard (in any requirement), the licence shall be put under suspension, and in case fresh sample after corrective action is not offered within one month or fresh sample fails to conform to the requirement of relevant Indian Standard, in any requirement, the license shall be processed for cancellation (Applicable for GoL under option 2).

धन्यवाद,/ Thanking you

भवदीय

(सब्यसाची धर)

वैज्ञानिक ई एवं प्रमुख, (केकेबीओ-।)

संलग्न/Encl: यथोक्त/As above

उपाबंध

एल/सीएम .अनुज्ञप्ति सं)-(5100247687

अनुज्ञप्ति की शर्तें

- (1) मानक चिह्न का डिजाइन अनुज्ञप्ति में दी गयी प्रतिकृति के आनुषंगिक होगा।
- (2) मानक चिह्न के फोटोग्राफिक विस्तार अथवा लघुकरण का उपयोग भी किया जा सकता है, जब तक ब्यूरो द्वारा कोई अन्य विनिर्दिष्ट न दिए गए हों।
- (3) अनुज्ञप्तिधारी उस संबद्ध माल, वस्तुओं, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा की भारतीय मानक के अनुसार अनुरूपता के लिए उत्तरदायी होगा जिसके लिए मानक चिह्न का उपयोग अथवा अनुप्रयोग किया गया है।
- (4) अनुज्ञप्तिधारी उस माल, वस्तुओं, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा के लिए मानक चिह्न का उपयोग नहीं करेगा जो गैरअनुरूप अथवा अनु-ज्ञप्ति के विषय क्षेत्र से बाहर है।-
- (5) जिस माल और बस्तुओं के लिए मानक चिह्न का उपयोग किया गया है अगर वे संबद्ध मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं, तो ब्यूरो अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके प्रतिनिधि को ऐसे गैरअनुरूपता वाले माल को -वापिस लेने का निर्देश दे सकताहै।
- (6) अनुज्ञप्ति के आस्थगन अथवा निलंबन के दौरान अथवा उसकी समाप्ति अथवा रद्द होने के पश्चात् किसी संबद्ध माल, वस्तु, प्रक्रिया, उपयोग अथवा सेवा के लिए मानक चिह्न का उपयोग अथवा अनुप्रयोग नहीं किया जाएगा।
- (7) अनुज्ञप्तिधारी को उस अनुरूपता आकलन योजना के उपाबंधों का पालन करना होगा जिसके अंतर्गत उसे अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया है, जिसमें लेबलिंग और चिह्नांकन अपेक्षाएँ भी शामिल हैं।
- (8) अनुज्ञप्तिधारी ब्यूरो द्वारा समयविनिर्दिष्ट अभिलेख अनुरक्षित रखेगा।-समय पर यथा-
- (9) अनुज्ञप्तिधारी अपने परिसरों में निरीक्षण अथवा लेखापरीक्षा करने से संबंधित सभी प्रकार की सहायता ब्यूरो को उपलब्ध कराएगा।
- (10) अनुज्ञप्तिधारी उत्पाद और मानक चिह्न के उपयोग अथवा अनुप्रयोग से संबंधित सभी प्रकार की सहायता ब्यूरो को उपलब्ध कराएगा।
- (11) यदि माल अथवा वस्तुओं पर मानक चिह्न का उपयोग अथवा अनुप्रयोग के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया हो तो अनुज्ञप्तिधारी को उन परेषिती, वितरकों, व्यौहारी अथवा फुटकर विक्रेता की सूची देनी होगी, जिनको मानक चिह्न वाले माल अथवा वस्तुओं की आपूर्ति की गयी है।
- (12) ब्यूरो के अनुमोदन के बिना अनुज्ञप्ति किसी व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जाएगा।
- (13) मानक चिह्न वाले किसी माल, वस्तुओं, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा से संबंधित शिकायत प्रमाणित होने पर ब्यूरो अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके प्रतिनिधि को मानक मुहरांकित माल और वस्तुओं की मरम्मत अथवा बदलने अथवा पुनर्निर्माण के निर्देश दे सकता है।
- (14)अनुज्ञप्तिधारी को कम से कम एक माह के नोटिस दे कर ब्यूरो, अनुज्ञप्ति की किसी शर्त को संशोधन का अधिकार रखता है।

Annexure

(Licence No. CM/L- 5100247687)

Condition of Licence

- (1) The design of Standard Mark shall be identical to the facsimile given in the licence.
- (2) The photographic enlargement or reduction of the Standard Mark may also be used, unless otherwise specified by the Bureau.
- (3) The license shall be responsible for the conformity of the goods, article, process, system or service to the Indian Standard in relation to which Standard Mark is used or applied.
- (4) The licensee shall not use the Standard mark in relation to goods, articles, process, system or service which are non-conforming or outside the scope of the licence.
- (5) If goods and articles in relation to which a Standard Mark has been used do not conform to the requirements of the relevant standard, the Bureau may direct the licensee or his representative to recall such non-conforming goods.
- (6) The Standard Mark shall not be used or applied in relation to any goods, article, process, system or service during deferment or suspension, or, after expiry or cancellation of the licence.
- (7) The licensee shall comply with the provisions of the conformity assessment scheme under which licence is granted, including labelling and marking requirement.
- (8) The licensee shall maintain records as specified by the Bureau form time to time.
- (9) The licensee shall provide the Bureau all assistance in connection with carrying out inspection or audit at its premises.
- (10) The licensee shall provide information relating to production and use or applying of Standards Mark as and when it is required by the Bureau.
- (11) If the licence is granted to use or apply Standard Mark on goods or articles, the licensee shall provide the list of consignees, distributors, dealers or retailers to whom woods or articles with Standard Mark is supplied.
- (12) The licence shall not be transferred to any person without approval of the Bureau.
- (13) If a complaint regarding quality of any goods, article, process, system or service bearing Standard Mark is established, the Bureau may direct the licensee or his representative to repair or replace or reprocess the standard marked goods and articles.
- (14) The Bureau shall have the right to amend any of the conditions of licence by giving a notice of not less than one month to the licensee.

GENERAL INSTRUCTIONS ON SIZES OF ISI MONOGRAM TO BE USED BY LICENSEE UNDER BIS CERTIFICATION MARKS SCHEME

Refer to the Standard Mark indicated in your licence. Regarding size, please note that:

- a) Photographic reduction in any size of Figure 1 is permissible; and
- b) Preferred dimensions as given in Table 1 be used as far as possible.




FIG. 1
TABLE 1 PREFERRED DIMENSIONS OF ISI MONOGRAM
All dimensions in milimeters

A	В	a	R	r	SIZE OF LETTERS
2.5	1.9	0.2	0.4		1.0 mm
5	3.8	0.4	0.8	0.1	1.0 mm
10	7.5	0.7	1.7	0.2	2.0 mm
20	15	1.5	3.3	0.5	3.0 mm
40	30	2.9	6.7	1.0	0 mm
80	60	5.9	13.4	1.9	6.0 mm
160	120	11.7	26.7	3.8	10.0 mm
320	240	23.4	53.4	7.6	16.0 mm

भारतीय मानक ब्यूरो

(Bureau of Indian Standards)

मानक चिहन के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति Licence for the use of Standard Mark

लाइसेंस सं. सीएम/एल- 5100247687 Licence No. CM/L-5100247687

यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर

मेसर्स नेक्स्टजेन ब्लू गेट नंबर 1, जालान इंडिस्ट्रियल काम्प्लेक्स, दाहिनी ओर लेन नंबर 3, गांव-बिप्रन्नापारा, हावड़ा जिला: हावड़ा, पश्चिम बंगाल- 711411

को (जिसे इसमें आगे 'अनुज्ञप्तिधारी' कहा गया है) इसकी प्रथम अनुसूची के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट मानक चिहन का, इस अनुसूची के तीसरे स्तंभ में दी गयी किस्मों पर, उपयोग करने के लिए यह अनुज्ञप्ति प्रदान करता है। इन उत्पादित किस्मों पर चिहन का उपयोग उक्त अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में समय-समय पर संशोधित अथवा नुरीक्षित/संदर्भित संबद्ध भारतीय मानक (मानकों) के अनुसार/अनुरूप विनिर्मित हो।

By virtue of the power conferred on it by the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) the Bureau hereby grants to

M/s Nextgen Blue

Gate NO.1, Jalan industrial complex,
Right Side Lane No.3,

Vill.-Biprannapara, Howrah

Distt: Howrah,

West Bengal- 711411

(hereinafter called the licensee) this licence to use the Standard Mark set out in the first column of the Schedule hereto, upon or in respect of the varieties set out in the third column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the second column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

2. इस अनुज्ञप्ति में अनुबंध अनुज्ञप्ति की शर्तों के लिए अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी है। यह अनुज्ञप्ति पहली अनुसूची में यथा-उल्लिखित नाम, कारखाना के पते और अविध के लिए विधिमान्य होगा और इसे स्कीम-। में निर्दिष्टानुसार नवीकृत कराया जा सकता है।

This licence carries obligations on part of the licensee as conditions of licence, which are given in Annexure attached herewith. This licence shall be valid for the name, factory address and period as mentioned in the schedule and may be renewed as specified in the scheme-I.

अनुसूची Schedule

(अनुज्ञप्ति सं. सीएम/एल - 5100247687) (Licence No. CM/L- 5100247687)

नामः नेक्स्टजेन ब्लू

Name: Nextgen Blue

कारखाने का पता:- गेट नंबर 1, जालान इंडस्ट्रियल काम्प्लेक्स, दाहिनी ओर लेन नंबर 3, गांव-बिप्रन्नापारा, हावड़ा

जिलाः हावड़ा, पश्चिम बंगाल- 711411

(Factory Address:- Gate NO.1, Jalan industrial complex, Right Side Lane No.3, Vill.-Biprannapara,

Howrah, Distt: Howrah, West Bengal- 711411

विधिमान्यता- 24/12/2024 से 23/12/2025 तक Validity From: 24/12/2024 to 23/12/2025

मानक चिह्न Standard Mark	भारतीय मानक Indian Standard	अनुज्ञप्ति का विषय क्षेत्र Scope of Licence	चिह्नांकन फीस Marking Fee
(1)	(2)	(3)	(4)
IS 17042 Part 1 CM/L- 5100247687	भा मा 17042 पार्ट 1: 2020 Diesel Engines Nox Reduction Agent Aus 32 Part 1 Quality Requirements IS 17042 : Part 1: 2020	AUS 32	एक वर्ष की प्रचालन अविध के दौरान न्यूनतम मुहरांकन फीस ₹86000.00 के साथ सभी इकाईयों के लिए ₹6.00 प्रति इकाई । इकाई: 1 KL ₹6.00 per unit for all units with a Minimum Marking Fee of ₹86000.00 during an operative period of one year Unit: 1 KL एक प्रचालन वर्ष के लिए न्यूनतम चिह्नांकन शुल्क अग्रिम में देय होगी जो अगले नवीकरण में अग्रनीत होगी। Minimum marking fee for one operative year payable in advance which will be carried over to next renewal(s)

आज हस्ताक्षरित एवं मुहरबंद किया गया। Signed and Sealed today.

> भारतीय मानक ब्यूरो के लिए for Bureau of Indian Standards

> > (सब्यसाची धर)

वैज्ञानिक ई एवं प्रम्ख, (केकेबीओ-।)